

दिनांक-12.06.2020 को श्री गोपाल मीणा, विशेष सचिव की अध्यक्षता में नलकूप संचालन, NHP एवं अन्य विषयों पर आहूत बैठक की कार्यवाही।

दिनांक-12.06.2020 को श्री गोपाल मीणा, विशेष सचिव की अध्यक्षता में नलकूप संचालन NHP एवं अन्य विषयों पर पिछले बैठक की कार्यवाही की अनुपालन की समीक्षा की गयी, जिसमें श्री शम्भू कुमार राय (कार्यपालक अभियंता, अनुश्रवण), श्री अजिताभ (प्रोग्रामर), श्रीमती प्रगति रानी, (डाटा एनालिस्ट), श्री कुणाल कुमार, (यांत्रिक अभियंता), वाफ्कोस, श्री सुनील कुमार, (MIS & Analytics Cell Lead), श्री रामप्रकाश (सहायक) एवं श्री अशोक कुमार सिंह, (कनीय अभियंता) ने भाग लिया।

- 1. नलकूप कोषांग-** सुचारु ढंग से नलकूप संचालन हेतु दिनांक-01.06.2020, 02.06.2020 एवं 03.06.2020 समेकित कार्यवाही (पत्रांक-1103(मो0) दिनांक-04.06.2020) में लिये गये निर्णय विभागीय के आलोक में एक स्पेशल कोर टीम का गठन किया है जो एक विभागीय नलकूप कोषांग के रूप में कार्य करेगा। इस कोषांग में नलकूप से संबंधित सभी तरह की संचिकाओं का संधारण, आवंटन आदि कार्य निर्धारित किये जायेगे। इसी कोषांग से नलकूपों से संबंधित शिकायतों का भी निष्पादन किया जायेगा। इस कोषांग के पत्रों को विभागीय निर्गत शाखा से ही निर्गत किया जायेगा। तत्संबंधी एक प्रस्ताव तैयार करने का निर्णय लिया गया। इस कार्य हेतु संयुक्त सचिव को प्रस्ताव तैयार करने हेतु पीत पत्र दिया जाये। उपर्युक्त कोषांग नया सचिवालय, विकास भवन के कमरा सं0-136 से संचालित होगा। इस पर अपर मुख्य सचिव महोदय का अनुमोदन संचिका में प्राप्त कर लेंगे।
- 2. जिलावार संचिका का संधारण-** बैठक में यह निर्णय लिया गया कि नलकूपों के संचालन से संबंधित सभी प्रकार के आवंटन एवं शिकायत हेतु सभी प्रमंडलों की अलग-अलग संचिकाएं रखी जाय। पाँच जिलों का शिकायत से संबंधित संचिका तैयार कर उपस्थापित की गई है। शिथिल/निरस्त सर्कुलर (chronological order) का संधारण अलग संचिका में की जाये। ताकि जिलावार एवं नलकूपवार स्पष्ट तथ्य एवं आकड़े विभाग के पास उपलब्ध हो।
श्री राम प्रकाश चन्द्र (सहायक) द्वारा सूचना दी गई की पांच प्रमंडलों से संबंधित संचिका तैयार कर ली गई है तथा शेष दिनांक-16.06.2020 तक तैयार कर ली जायेगी। श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रशाखा पदाधिकारी के माध्यम से संचिकाओं को प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया। इस संबंध में पीत पत्र के माध्यम से मुख्यालय स्थापना को निदेशित किया जा सकता है।
- 3. क्रिटिकल एवं सेमी-क्रिटिकल जोन में नलकूप संचालन-** क्रिटिकल जोन में जिस नलकूप पर 17.5 एच0पी0 के मोटर लगाने के फलस्वरूप नहीं चलने पर 7.5 एच0पी0 मोटर लगायी जा सकती है या नहीं, के बिन्दु पर मेकेनिकल अभियंता श्री कुणाल कुमार एवं श्री अशोक कुमार प्रतिवेदन देगे।
- 4. समय पर आवंटन निर्गत-** बैठक में निर्देश दिया गया कि जिन जिलों से अधियाचना की गयी है, उसे जाँच कर आवंटन हेतु संचिका प्रस्तुत करेंगे। श्री चन्द्र द्वारा सूचना दी गयी है कि जिन प्रमंडलों से अधियाचना पत्र प्राप्त हुआ है वे विहित प्रपत्र में नहीं है।

Handwritten signature

Handwritten mark

- उक्त प्रमंडलों को विहित प्रपत्र में अधियाचना उपलब्ध कराने हेतु निदेशित करने की कार्रवाई की जा रही है। इस बीच त्वरित गति सं आवंटन निर्गत करने हेतु श्री चन्द्र को निदेशित किया गया है।
5. **पोर्टल पर सुस्पष्ट एवं ढंग से फोटो अपलोड करना**— बैठक में निर्णय लिया गया कि सुस्पष्ट ढंग से माँपी पुस्तक को विभागीय वेब-पोर्टल पर अपलोड का प्रावधान किया जाय। सभी प्रभावी परिपत्र को MWRD के वेब साईट पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में सभी कार्यपालक अभियंताओं को पत्र दिया जाय।
 6. **विद्युत् विपत्र का भुगतान**— बैठक में यह निर्देश दिया गया है कि विद्युत विभाग का प्राप्त अधियाचना के आलोक में भुगतान कितनी राशि की गयी है और कितनी भुगतान होने वाली राशि लंबित है, की जानकारी प्राप्त की जाय, (अनुपालन श्री राम प्रकाश चन्द्र, सहायक)
 7. **Information System को और सुदृढ़ करना**— बैठक में उपस्थित सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स को यह निर्देश दिया गया कि विभागीय पोर्टल पर शिकायत/सुझाव का विकल्प उपलब्ध कराया जाय ताकि विभाग के सॉफ्टवेयर पर क्षेत्र से सीधे शिकायत/सुझाव प्राप्त किया जा सके। मोबाईल एप्प तैयार करने हेतु प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अतः विभाग के सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट टीम को आवश्यकतानुसार सॉफ्टवेयर विकसित करने का निर्देश दिया गया। इसके लिए श्री अजिताभ को विशेष जवाबदेही दी गयी। नलकूप के सॉफ्टवेयर पर अधियाचना एवं आवंटन की प्रविष्टि के लिए व्यवस्था की जाय।
 8. **एजेंसी के empanelment की कार्रवाई**— बैठक में उपस्थित कनीय अभियंता मैकेनिकल को निर्देश दिया गया है कि विभाग अन्तर्गत लगभग दस हजार नलकूपों से संबंधित Equipment/ Motor Components का स्वीकृति निबंधित एजेंसी से प्राप्त कर PPT के रूप में उपलब्ध कराया जाय, (अनुपालन—श्री कुणाल कुमार एवं श्री अशोक कुमार सिंह, यांत्रिक अभियंता)
 9. **Mobile Pump Controller(MPC) अधिष्ठापन कार्य**— MPC के संग्रहित डेटा को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने हेतु श्री सुनील कुमार, (MIS & Analytics Cell Lead) को निदेश दिया गया है एवं सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स श्री अजिताभ कुमार, प्रोग्रामर को यह निर्देश दिया गया कि MPC के डैस बोर्ड से प्राप्त सूचनायें विभागीय पोर्टल पर भी दिखया जाय। संवेदक M/S Neelay Industries को राज्य के सभी जिलों में MPC के Installation हेतु निदेशित किया जाय। श्री सुनील कुमार द्वारा सूचना दी गयी कि 39 नलकूपों पर MPC का अधिष्ठापन किया जा चुका है।
 10. **कंसलटेंट द्वारा नियमित क्षेत्र भ्रमण**— भ्रमण की जाने वाली टीम से अपेक्षा की गयी है कि मोटर जलने की जानकारी प्राप्त की जाय कि किस कारण से मोटर जला तथा जलने की Frequency क्या है, के सम्बंध में अद्यतन स्थिति का पता लगाया जाय। श्री शम्भू कुमार राय इनका भ्रमण कार्यक्रम निर्धारित करेंगे।



उपर्युक्त बिन्दुओं पर विमर्श एवं निर्देशोपरांत सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी।

(गोपाल मीणा)

विशेष सचिव,

लघु जल संसाधन विभाग।

ज्ञापांक- ०२

/पटना, दिनांक- 16/6/20

प्रतिलिपि:- श्री शम्भू कुमार राय, कार्यपालक अभियंता, (मु0) अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/श्री अमरेन्द्र कुमार, सहायक अभियंता, फील्ड ऑफिसर/श्रीमती प्रगति रानी, डाटा एनालिस्ट/श्री अशोक कुमार, यांत्रिक कनीय अभियंता/श्री अजीताभ कुमार, प्रोग्रामर/श्री कुणाल कुमार, यांत्रिक अभियंता, वाफ्कोस/श्री सुनील कुमार, MIS & Analytics Cell Lead/श्री रामप्रकाश, सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव

लघु जल संसाधन विभाग।

ज्ञापांक- ०२

/पटना, दिनांक- 16/6/20

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव/विशेष सचिव के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता, (मु0) अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव

लघु जल संसाधन विभाग।